राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 102(5)खा.वि. / आर.टी.आई. / 2012 जयपुर,दिनांकः 14/7/15

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्ति के सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए अधिनियम की धारा 5 उप धारा (1) के प्रावधानानुसार विभाग के निम्नांकित अधिकारियों को उनके अधीन शाखाओं से सम्बन्धित सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित किया जाता हैः–

1. वित्तीय सलाहकार
2. उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम)
3. उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (द्वितीय)
4. उप विधि परामर्शी
5. सहायक आयुक्त
6. सहायक निदेशक(सांख्यिकी)
7. जिला रसद अधिकारी(सतर्कता)
8. जिला रसद अधिकारी (उपार्जन)
9. उप निदेशक, उपभोक्ता मामले

इनके प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग होंगे।

जिला स्तर पर समस्त जिला रसद अधिकारियों को राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा समस्त जिला कलेक्टर (रसद) को प्रथम अपीलीय अधिकारी पदाभिहित किया जाता है।

सहायक आयुक्त (खाद्य) सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्य के लिये नोडल अधिकारी नामित है, को प्रमुख शासन सचिव एंव अतिरिक्त खाद्य आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त होने वाले सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्रों हेतु लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित किया जाता है। साथ ही वे नोडल अधिकारी के रूप में विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम सम्बन्धित समन्वय का समस्त कार्य देखेंगे।

13/07/15

(डॉ. सुबोध अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव